

अलीगढ विकास प्राधिकरण, अलीगढ।

फ्रीहोल्ड विक्रय विलेख-पत्र

- 1-मूल्यांकन : रू0-...../-
2-कुल स्टाम्प : रू0-...../-
3-क्षेत्राधिकार : उप निबन्धक-.....
4-जिलाधिकारी सर्किल रेट : रू0-...../-प्रति वर्गमीटर
5-भूखण्ड का क्षेत्रफल :वर्ग मी0
6-सड़क की स्थिति : मीटर चौड़ी सड़क
7-पार्क फेसिंग/कॉर्नर : पार्क फेसिंग/कॉर्नर है।
8-केता : महिला/पुरुष
9-भूखण्ड का प्रयोजन : कॉमर्शियल
10-कालोनी/योजना : ट्रान्सपोर्ट नगर योजना
मो0 नं0- आधार नं0-..... PAN-----

अलीगढ विकास प्राधिकरण, अलीगढ PAN-AAALA0082G

अलीगढ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु यह विलेख सन् 2023 ई0 के मास के वें दिन (तदनुसार शक सम्बत् केदिन को) जिसको एतद् पश्चात् प्रथम पक्ष कहा गया है तथा श्री.....पुत्र श्री....., निवासी-.....जिला-.....(जिसको एतद् पश्चात् "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है। और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड द्वितीय पक्ष श्री..... को आवंटित हुआ है। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड का स्वामित्व मय कीमत, ब्याज व लीजरेंट/फ्रीहोल्ड शुल्क आदि की कुल धनराशि रू0-..... (शब्दों में रूपये) के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तांतरित किया जाता है।

और चूँकि आवंटी द्वारा निष्पादन दिनांक तक मय कीमत, ब्याज व फ्रीहोल्ड शुल्क आदि की कुल धनराशि रू0-..... (रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है, जिस पर शासनादेशानुसार स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूखण्ड पर निर्माण नहीं है। चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड संख्या-.....टाईप..... का स्वामित्व आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है और चूँकि जनपद अलीगढ़ की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड का कॉमर्शियल उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूखण्ड का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम - 1965 सपठित एवं शासनादेश संख्या-72/3488/आठ-1-14-30विविध/2014 दिनांक 12.12.2014 के अनुसार निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में घोषित किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को मय कीमत, ब्याज व फ्रीहोल्ड शुल्क आदि की कुल धनराशि रू0-..... (रूपये मात्र) एडीए स्थित बैंक में चैक/बैंक ड्राफ्ट/नकद दिनांक तक किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरूप तथा आग वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतद् द्वारा वह भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेखकी अनुसूची में लाल रंग से निर्दिष्ट किया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं। अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन की दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तांतरित कर सकेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के संबंध में इस समय देय करों की अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा। इस विलेख से उत्पन्न या इसके संबंध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को संदर्भित किया जायेगा, जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के संबंध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। यदि आवंटी निर्धारित तिथि तक भूखण्ड का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को रू0-500/-प्रति माह की दर से चौकीदारी शुल्क देना होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के संबंध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्यवस्था प्रसंगों से असंगत न हो, "प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा "द्वितीय पक्ष" में उसके दावाधिकारियों, निष्पादको, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। विलेख में अभिर्दिष्ट अनुसूची निम्नवत् है—

कॉमिशिर्ल भूखण्ड संख्या:—.....टाईप..... स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, अलीगढ़ कुल रकवा:—..... वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :—

पूरब	:	माप—..... मी०
पश्चिम	:	माप—.....मी०
उत्तर	:	माप—..... मी०
दक्षिण	:	माप—.....मी०

फ्रीहोल्ड के लिये द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में मय कीमत, ब्याज व लीजरेंट/फ्रीहोल्ड शुल्क आदि सहित कुल धनराशि रू0-..... (रूपये मात्र) जमा कर दी गयी है।

यह है कि मैं, सम्पत्ति अधिकारी, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा दिनांक को तस्दीकी मुख्तारनामा श्री लिपिक, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ के हक में करके विलेखों को प्रेषित करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

गवाह (1)

नाम—

पता—

मोबा0 नं0—

आधार नं0—

गवाह (2)

नाम—

पता—

मोबा0 नं0—

आधार नं0—